

महत्वपूर्ण प्राथमिकता

अद्ध शा0पा0सं0 1955(2)/9-आ-4-2001

प्रमुख सचिव,  
आवास विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन,  
लखनऊ-226001  
आवास अनुभाग - 4  
लखनऊ : दिनांक : 13 जुलाई 2001  
अतुल कुमार गुप्ता,  
आई.ए.एस

प्रिय महोदय,

कृपया नजूल भूमि फ्रीहोल्ड के सन्दर्भ में शासन द्वारा निर्धारित 18 कालम के प्रपत्र पर सूचना उपलब्ध कराये जाने के स्थान पर 8 कालम में सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 1720/9-आ-4-2001-350एन/99 टी0सी0, दिनांक 6 जून, 2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड की समीक्षा करने पर यह पाया गया है कि फ्रीहोल्ड के मामले में विलेख की रजिस्ट्री किये जाने की कार्यवाही तत्परता से नहीं की जा रही है। अतः फ्रीहोल्ड विलेख की रजिस्ट्री के सम्बन्ध में अनुश्रवण किये जाने हेतु संदर्भित पत्र में उल्लिखित 8 कालम को निम्नवत संशोधित किया जाता है:-

नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड की मासिक प्रगति की आख्या

जनपद का नाम ..... माह..... वर्ष 2001-2002

1-माह में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या .....

2-माह में जमा स्वमूल्यांकन आवेदन धनराशि रू0 लाख में .....

3-माह में निरस्त आवेदन पत्रों की संख्या.....

4-माह में स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या.....

5-माह में जारी डिमाण्ड नोट की संख्या.....

6-माह में निष्पादित फ्रीहोल्ड विलेख की संख्या .....

7-माह में जारी डिमाण्ड नोट में निहित धनराशि .....

8-डिमाण्ड नोट के सापेक्ष माह में जमा धनराशि रू0 लाख में .....

9-नीलामी/निविदा द्वारा माह में जमा धनराशि रू0 लाख में .....

10-अन्य विवरण .....

अतः आगामी माह से नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड से प्राप्त धनराशि की तथा अन्य वांछित सूचना उक्त 10 कालम के प्रारूप में शासन को प्रत्येक माह के 3 तारीख को ई-मेल अथवा फ़ैक्स द्वारा प्रेषित किया सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

**अतुल कुमार गुप्ता**

1- समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

2- उपाध्यक्ष,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

अर्द्ध शा0पा0सं0-1955(3)/9-आ-4-2001 तददिनांक

प्रिय महोदय,

उक्त की प्रति मुझे आप को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित करने की अपेक्षा की गयी है।

भवदीय,

**अतुल कुमार गुप्ता**

समस्त मण्डलायुक्त,  
उत्तर प्रदेश।